न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/5841/2002/जयपुर

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र जवरीलाल
2. बाबूलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सांभर तहसील सांभर जिला जयपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र गोमा
2. मंगला राम पुत्र गोमा
3. गोपाल पुत्र गोमा
4. बनवारी पुत्र गोमा
   समस्त जाति कुम्हार निवासी नांवा रोड, सांभर तहसील सांभर जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांभर जिला जयपुर

–प्रत्यर्थीगण

(2) प्रकरण संख्या– अपील/टीए/8969/2006/जयपुर

(3) प्रकरण संख्या– अपील/टीए/8970/2006/जयपुर

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र जवरीलाल
2. बाबूलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी रेगरान मोहल्ला तेली दरवाजा, सांभर तहसील सांभर जिला जयपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र गोमा
2. मंगला राम पुत्र गोमा
3. गोपाल पुत्र गोमा
4. बनवारी पुत्र गोमा
   समस्त जाति कुमावत निवासी नांवा रोड, पाईप फेक्टी के पास,सांभर तहसील सांभर जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अजीतसिंह राठैड, अधिवक्ता, अपील संख्या–5841/2002 में प्रत्यर्थीगण संख्या–1से 4 की ओर से
श्री आत्मा राम शर्मा, अधिवक्ता, अपील संख्या–8968/2006 एवं 8970/2006 में प्रत्यर्थीगण संख्या–1से 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा अपील सं0–5841/2002 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–08–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इसी प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा अपील सं0–8969/2006 एवं अपील संख्या–8970/2006 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. तीनों अपीलों में विवादित आराजी, पक्षकारान के समान होने से योग्य अधिवक्तागण की सहमति से इन तीनों अपीलों का निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. प्रकरण संख्या–5841/2002 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा

88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी ग्यारसा के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 390/1 रकबा 23बीघा 03बिस्वा भूमि में से दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित 08बीघा भूमि बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 13-08-2001 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण संख्या-1 से 4 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-08-2002 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-08-2001 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

4. प्रकरण संख्या-8969/2006 एवं 8970/2006 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या-1 से 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थीगण व राज्य सरकार के विरूद्ध वाद संख्या-173/2004 प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 390/1 रकबा 23बीघा 03बिस्वा भूमि किशनलाल पुत्र हरीराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसमें से 20बीघा 03बिस्वा भूमि दिनांक 25-02-1961 को गोमा व नाथूराम, मंगलाराम वादी संख्या-1 व 2 ने समान हिस्से में 350रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की, तब से वादीगण काबिज काश्त है, जिसमें मकानात, कुआ एवं कोठी बने हुए है परन्तु वादीगण अनपढ होने के कारण उनके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुआ। वादीगण विक्रयपत्र दिनांक 25-02-1961 के आधार पर क्रयशुद्धा भूमि की खातेदारी अधिकार

प्राप्त करने के अधिकारी है। साबिक खसरा नम्बर 390/1 के हाल खसरा नम्ब्र 390/1/1 रकबा 07बीघा 03बिस्वा, 390/1/3 रकबा 15बीघा 10बिस्वा कुल 22बीघा 13 बिस्वा ग्यारसा पुत्र गोविन्दराम की खतोदारी में एवं खसरानम्बर 390/1/2 रकबा 10बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गयी तथा वादी एवं गोमा जो कि ग्यारसा के वारिस है, से भूमि खरीद की है। अतः वादी संख्या-1 का 5/12 हिस्सा, वादी संख्या-2 का 5/12 हिस्सा, वादी संख्या-3 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या-4 का 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 अपीलार्थीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा उसी दिन पक्षकारान की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 25-07-2005 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में पृथक - पृथक अपील संख्या 141/2005 एवं 164/2005 प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30-10-2006 से आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-07-2005 को निरस्त करते हुए प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

5. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

6. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील संख्या-5841/2002 के मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 390/1 रकबा 23बीघा 03बिस्वा भूमि में से दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित 08बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त अपने बुजुर्गों के समय से चला आ रहा है। प्रथम सेटलमैन्ट के दौरान सम्वत् 2015 में गैर कानूनी रूप से वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के बजाय प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया, जिसका भू-प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार का वाद विधिसम्मत् निर्णय से डिक्री किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही प्रत्यर्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त में विवादित आराजी रही है। उनका कथन है कि विवादित खसरा नम्बर 390/1 रकबा 23बीघा 03बिस्वा में से 08बीघा भूमि दक्षिण पश्चिम की तरफ वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है शेष 15बीघा 03बिस्वा पर प्रत्यर्थी संख्या-1 से 4 के पिता गोमा के समय से काबिज चले आ रहे है उक्त 08बीघा भूमि प्रत्यर्थी अपने पिता गोमा द्वारा प्रतिवादी ग्यारसा पुत्र गोविन्दराम के पुत्र किशन से पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 3-3-1961 द्वारा खरीदना बता रहे है जबकि उक्त विक्रयपत्र खसरा नम्बर 390/1 का न होकर खसरा नम्बर 390 का जिसका रकबा 20बीघा 05बिस्वा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील के साथ धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से

निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-08-2002 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-08-2001 को बहाल रखा जावे।

7. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अन्य दोनों अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि पक्षकारान के मध्य विचारण न्यायालय के समक्ष आपसी राजीनामा हो गया था एवं विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा पक्षकारों को पढकर सुनाकर तस्दीक कर दिया था तो विचारण न्यायालय को राजीनामें अनुसार दावे एवं काउन्टर क्लेम का निस्तारण करना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को ग्यारसा की खातेदारी की भूमि होना मानते हुए वाद एवं काउन्टर क्लेम को खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि ग्यारसा पुत्र गोविन्दराम व्यास नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। इस कारण उसे यदि वादी ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया तो उससे अपीलार्थी के काउन्टर क्लेम पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को डिक्री किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

8. इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता श्री अजीतसिंह राठौड ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खातेदार ग्यासीलाल के वारिस किशनलाल से उनके पक्षकार द्वारा क्रय की गयी थी, जिसके बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के वादीगण ने प्रत्यर्थीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना एकतरफा में घोषणा के वाद को कब्जे काश्त के आधार पर डिक्री करा लिया, जबकि विवादित आराजी पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से कब्जे काश्त के बिन्दू को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया गया। ना ही यह साबित कराया गया कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त कब से व किस हैसियत से है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण का घोषणा का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा के वाद को कब्जे काश्त के आधार पर डिक्री कर दिया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

9. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण श्री आत्मा राम शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 390/1 रकबा 23बीघा 03बिस्वा भूमि किशनलाल पुत्र हरीराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसमें से 20बीघा 03बिस्वा भूमि दिनांक 25-02-1961 को गोमा व नाथूराम, मंगलाराम ने समान हिस्से में 350/-रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की, तब से उनका पक्षकार उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है, जिसमें उनके पक्षकार के मकानात, कुआ एवं कोठी बने हुए है परन्तु वादीगण अनपढ होने के कारण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुआ। उनका कथन है कि वादीगण विक्रयपत्र दिनांक

25–02–1961 के आधार पर क्रयशुद्धा भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, लगान की रसीदे आदि प्रस्तुत किये थे, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्पष्ट अभिमत व्यक्त किये बिना वाद को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज किया जावे।

10. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

11. सर्वप्रथम हम अपील संख्या 5841/2002 को निर्णीत करना उचित समझते है। उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय की मूल वादपत्र संख्या 392/1992 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वादपत्र दुर्गाप्रसाद एवं बाबूलाल (पिता–पुत्र) द्वारा खसरा नम्बर 390/1 रकबा 23बीघा 03बिस्वा में से दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित 08बीघा भूमि पर खातेदारी घोषणा हेतु पुराने कब्जे के आधार पर तत्समय के मूल खातेदार ग्यारसा पुत्र गोविन्दराम प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। वादीगण के वादपत्र का मुख्य एवं एकमात्र आधार प्रतिकूल कब्जा है, जिसके समर्थन में वादीगण ने लगान की रसीद प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत् 2044 लगायत 2047 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 लगायत 2019 एवं सम्वत् 2032,

2033, 2044 लगायत 2047 आदि राजस्व अभिलेख पेश किये है। चूंकि इस सम्बन्ध में इस न्यायालय का विनम्र मत है कि वादीगण द्वारा पेश दस्तावेज से विवादित खसरे की 08बीघा भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के रोज से अर्थात् सम्वत् 2012 से कोई कब्जा काश्त निरन्तर निर्वाध तौर पर साबित नहीं हो रहा है जिससे उनका कब्जा विधिक कब्जे की श्रेणी में आ सकें। इसके अतिरिक्त कुछ वर्षो की गिरदावरियों में अंकित कब्जे को भी निरन्तर नहीं माना जा सकता है क्योंकि सम्वत् 2012 से वादपत्र पेश करने के रोज की निरन्तर खसरा गिरदावरियां पेश नहीं है और ना ही खसरा गिरदावरियां कब्जे का प्रमाणिक दस्तावेज है क्योंकि चन्द गिरदावरियों से वादीगण का कब्जा प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में नहीं आता है। खसरा गिरदावरी की आकस्मिक प्रविष्टियां वादीगण को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

12. हालांकि वादीगण के वादपत्र का मुख्य एक मात्र आधार एडवर्स पजेशन है जिसे भी वादीगण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से निरन्तर निर्बाध साबित करने में असफल रहे है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धदपीठ ''तारा बनाम स्टेट'' तथा मण्डल की दो वृद्धदपीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान किये ही नहीं जा सकते है। इस परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक ने वादीगण का वाद डिक्री कर कानूनी भूल की थी, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय से दुरूस्त करने में कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित नहीं की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपील संख्या 5841/2002 में कोई कानूनी बिन्दू निहित नहीं होने एवं मेरिट पर कोई सुदृढ आधार नहीं होने से इस अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. तत्पश्चात् अपील संख्या 8969/2006 एवं 8970/2006 की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों अपीलों में भी समान विवादित आराजी खसरा नम्बर 390/1 रकबा 23बीघा 03बिस्वा भूमि के बाबत् ही उभयपक्षों के मध्य विवाद है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों ने विवादित आराजी में समान अनुतोष की प्राप्ति हेतु पुनः एक नयी द्वितीय श्रृंखला वादपत्र संख्या 173/2004 के माध्यम से प्रारम्भ की है एवं उक्त प्रक्रिया में तत्समय के दर्ज रिकार्डेड खातेदार ग्यारसा पुत्र गोविन्दराम को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस वादपत्र संख्या 173/2004 में भी दुर्गाप्रसाद एवं बाबूलाल द्वारा पेश काउन्टर क्लेम का मुख्य आधार अपील संख्या 5841/2002 में परीक्षणधीन वाद संख्या 392/1992 की भांति 08बीघा भूमि पर एडवर्स पजेशन ही है, जिसकी सम्पूर्ण विवेचना अपील संख्या 5841/2002 में समग्र रूप से की जाकर उक्त 08बीघा भूमि पर दुर्गाप्रसाद व बाबूलाल का विधिक आधार नहीं माना गया है, इसलिए उक्त पक्षकारान द्वारा पेश काउन्टर क्लेम निरस्त किया जाता है।

14. चूंकि गोमाराम के वारिसान द्वारा अपना मूलवाद संख्या 173/004 किशनलाल पुत्र हरीराम से खसरा नम्बर 390/1 में से 20बीघा 03बिस्वा भूमि दिनांक 25-02-1961 से खरीद करना कथित करते हुए समभाग में खातेदारी अधिकार चाहे है। मुख्यतः गोमाराम के वारिसान के वादपत्र का मुख्य आधार पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 25-02-1961 एवं इसके आधार पर निरन्तर कब्जा है जबकि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25-02-1961 में विक्रेता किशनलाल पुत्र हरीराम है, जो न तो खसरा नम्बर 390/1 का कभी खातेदार दर्ज रहा है और ना ही उसे उक्त कारण से इस खसरे की आराजियात का बैचान का अधिकार हो सकता है। इसलिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25-02-1961 के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष गोमाराम के वारिसान कानूनन

प्राप्त नहीं कर सकते है। गोमाराम के वारिसान द्वारा मण्डल के स्तर तक ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे तथाकथित किशनलाल पुत्र हरीराम को मूल खातेदार ग्यारसा का प्राकृतिक उत्तराधिकारी माना जा सकें।

15. जहां तक उभयपक्षों द्वारा विवादित आराजी के बाबत् किये गये राजीनामें की औचित्यता का प्रश्न है तो उस सम्बन्ध में खण्डपीठ विचारण न्यायालय द्वारा मूल वादपत्र संख्या 173/2004 में अंकित निष्कर्ष से सहमत है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में दोनों ही पक्षों के पास कोई Source of tenancy को साबित करने का ऐसा कोई विधिक दस्तावेज नहीं है जिससे साबित होता हो कि इन्हें मूल खातेदार ग्यारसा से विवादित आराजी हस्तानान्तरित होती हो या कोई विधिक स्वत्व प्राप्त होते हो। राजीनामा वही पक्ष कर सकते है जिनके पास आराजी में कोई विधिक अधिकार प्राप्त हो या प्राप्त करने की विधिक सम्भावना हो, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही पक्षों के पास विवादित आराजी को प्राप्त करने का कोई दस्तावेज या अधिकार है ही नहीं तो राजीनामें के आधार पर विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी ग्यारसा पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज है तथा खातेदार ग्यारसा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। यदि खातेदार फौत हो चुका है तो वादपत्र संख्या–173/2004 में उसके वारिसान को पक्षकार बनाना चाहिए था। हस्तगत प्रकरण में दोनों ही पक्ष येन–केन प्रकरेण विवादित आराजी में घोषणा चाहते है जबकि खातेदार कोई अन्य व्यक्ति है। इस प्रकार दोनों ही पक्ष दुरभि–सन्धी कर राजीनामें से भी आराजी को प्राप्त करने चाहते है, इसलिए ऐसा राजीनामा विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि दोनों ही पक्ष क्लीन हैण्डस् से नहीं आये है और वे येन-केन प्रकरेण विवादित आराजी हडपना चाहते है तथा दोनों ही पक्षों के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे कि इन्हें खातेदार घोषित किया जा सकें। चूंकि उक्त तथ्य जहां न्यायालय के सामने आ गया है तो न्यायालय आंखे मूंद कर मूक दर्शक नहीं रह सकता है, इसलिए परीक्षण न्यायालय ने वाद संख्या 173/2004 में पारित निर्णय दिनांक 25-07-2007 से विवादित आराजी को सरकारी दर्ज करने के निर्देश प्रदान करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है तो उस सम्बन्ध में इस न्यायालय का विनम्र मत है कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय पूर्णतः विधि अनुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में वांछनीय नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण को यांत्रिक ढंग से प्रतिप्रेषित कर कानूनी भूल कारित की है क्योंकि दोनों ही पक्ष प्रकरण में क्लीन हैण्ड्स से नहीं आये है एवं आराजी को हडपने की मंशा रखने वाले है, जिनके पक्ष में बिना किसी विधिक दस्तावेज के निर्णय पारित कर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है।

19. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के फलस्वरूप अपील संख्या- 5841/2002 खारिज की जाती है एवं अपील संख्या- 8969/2006 एवं 8970/2006 निर्णीत की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 141/2005 एवं 164/2006 में पारित निर्णय दिनांक 30-10-2006 निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा वादपत्र संख्या 173/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-07-2005 की पुष्टि करते हुए बहाल किया जाकर इसकी अनुपालना अतिशीघ्र एक माह में किये जाने के निर्देश सम्बन्धित

तहसीलदार को प्रदान किये जाते है। साथ ही निर्णय की एक प्रति निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर इस निर्णय की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष